रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277454
CG-DL-E-27102026-277454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 848] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 02/2026- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 921(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 641 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सभी सामान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण. – इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री-शैवाल अर्क आधारित जैव-उद्दीपक (बायो-स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।";

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर";

(ख) अनुसूची II - 9% में, क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 641 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 01/2026- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा सा.का.नि. संख्या 328 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 02/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 921(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025 - Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025, namely: -

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%,

(i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled.

Explanation. – This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.";

(ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"272A.	4012	Retreaded tractor tyres";

(b) in Schedule II – 9%, against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
"Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 09/2025-Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025 and was last amended *vide* Notification No. 01/2026-Central Tax (Rate) dated the 30th April, 2026 *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 02/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 922(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 642 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सभी सामान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण. – इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री-शैवाल अर्क आधारित जैव-उद्दीपक (बायो-स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।";

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर";

(ख) अनुसूची II - 18% में, क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 642 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 01/2026- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा सा.का.नि. संख्या 327 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के माध्यम से किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 02/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 922(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 642(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 5%,

(i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled.

Explanation. – This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.";

(ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"272A.	4012	Retreaded tractor tyres";

(b) in Schedule II – 18%, against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

"Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 09/2025-Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 642(E), dated the 17th September, 2025 and was last amended vide Notification No. 01/2026-Integrated Tax (Rate) dated the 30th April, 2026 vide number G.S.R. 327 (E), dated the 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 02/2026- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 923(अ).—संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- संघराज्य क्षेत्र कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 646 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: –

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सभी सामान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण. – इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री-शैवाल अर्क आधारित जैव-उद्दीपक (बायो-स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।";

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर";

(ख) अनुसूची II - 9% में, क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 646 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 01/2026- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा सा.का.नि. संख्या 329 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के माध्यम से किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 02/2026- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 923(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025-Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 646(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%,

(i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled.

Explanation. – This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.";

(ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"272A.	4012	Retreaded tractor tyres";

(b) in Schedule II – 9%, against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
"Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 09/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 646(E), dated the 17th September, 2025 and was last amended *vide* Notification No. 01/2026-Union Territory Tax (Rate) dated the 30th April, 2026 *vide* number G.S.R. 329 (E), dated the 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 03/2026-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 924(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 जिसे सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 10/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 03/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 924(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2025- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 660(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, in Schedule, after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"87A.	1211 90 13	Psyllium seeds (Isobgul/Isobgol)".

2. This notification shall come into force with from 1st November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 10/2025- Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 660(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 03/2026-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 925(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 10/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 03/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 925(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2025-Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, in Schedule, after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"87A.	1211 90 13	Psyllium seeds (Isobgul/Isobgol)".

2. This notification shall come into force with from 1st November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 10/2025- Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 03/2026- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 926(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 जिसे सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 10/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 03/2026- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 926(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.662(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, in Schedule, after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"87A.	1211 90 13	Psyllium seeds (Isobgul/Isobgol)".

2. This notification shall come into force with effect from 1st November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 10/2025- Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 662(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 04/2026-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 927(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति";

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति";

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 06/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 614(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 04/2026-Central Tax (Rate)

G.S.R. 927(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1518	Used cooking oil	Any unregistered person	Any registered person";

(ii) after S. No. 3A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B.	3915	Waste and scrap of plastics	Any unregistered person	Any registered person
3C.	4004	Waste and scrap of tyres	Any unregistered person	Any registered person";

(iii) after S. No. 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	Electrical and electronics waste and scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 06/2024-Central Tax (Rate), dated the 8th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 614(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 04/2026-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 928(अ).—एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 669(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 669(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 06/2024-एकीकृत कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 616(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 04/2026-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 928(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1518	Used cooking oil	Any unregistered person	Any registered person";

(ii) after S. No. 3A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B.	3915	Waste and scrap of plastics	Any unregistered person	Any registered person
3C.	4004	Waste and scrap of tyres	Any unregistered person	Any registered person";

(iii) after S. No. 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	Electrical and electronics waste and scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017-Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 06/2024-Integrated Tax (Rate), dated the 8th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 616(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 04/2026-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 929(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 06/2024-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 615(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 04/2026-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 929(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1518	Used cooking oil	Any unregistered person	Any registered person";

(ii) after S. No. 3A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B.	3915	Waste and scrap of plastics	Any unregistered person	Any registered person
3C.	4004	Waste and scrap of tyres	Any unregistered person	Any registered person";

(iii) after S. No. 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	Electrical and electronics waste and scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 06/2024-Union Territory Tax (Rate), dated the 8th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 615(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 05/2026-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 930(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1263(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4बी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018-केंद्रीय कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1263 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-केंद्रीय कर(दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि 783 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 05/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 930(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2018 -Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1263(E), dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Appendix 4B of Handbook of Procedures, as amended by the Directorate General of Foreign Trade from time to time;".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 26/2018-Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1263(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification No. 18/2025-Central Tax (Rate), dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 783(E), dated the 24th October, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 05/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 931(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4बी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-एकीकृत कर(दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि 784 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 05/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 931(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2018 -Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1266(E), dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Appendix 4B of Handbook of Procedures, as amended by the Directorate General of Foreign Trade from time to time;".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 27/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1266(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification No. 18/2025-Integrated Tax (Rate), dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 784(E), dated the 24th October, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 05/2026-संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 932(अ).—संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018- संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1269(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4बी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018-संघ-राज्य क्षेत्र कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1269 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-संघ-राज्य क्षेत्र कर(दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि 786 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 05/2026-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 932(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1269(E), dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Appendix 4B of Handbook of Procedures, as amended by the Directorate General of Foreign Trade from time to time;".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 26/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 31st of December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1269(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification No. 18/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 786(E), dated the 24th October, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 34/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 933(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जिसे सा.का.नि. 781 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका I में क्रम सं. 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(ख) तालिका I से जुड़ी सूचियों में, सूचियां 13, 14 और 15 को लोप किया जाएगा;

(ग) तालिका II में,-

(i) क्र सं. 36 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8906" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्र सं. 60 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तोपखाने के हथियार, राइफल, विमान और मिसाइल जैसी वस्तुओं के पुर्जे, उप-समुच्चय, अतिरिक्त पुर्जे, सहायक उपकरण, औजार, परीक्षण उपकरण, साहित्य, सिवाय 12.7 मिमी एसआरसीजी, 155 मिमी/45 कैलिबर धनुष, एल-70 गन, 84 मिमी आरएल एमके-III, एके-630 नेवल गन, लाइट मशीन गन, एमएजी गनः

परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोटः - मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 781 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 23 सितम्बर, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे सा.का.नि. 840 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 34/2026-Customs

G.S.R. 933(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: -

In the said notification,

(a) in TABLE I, S. No. 198 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in the LISTS appended to TABLE I, Lists 13, 14 and 15 shall be omitted;

(c) in TABLE II, -

(i) against S. No. 36, for the entry in column (2), the entry "8906" shall be substituted;

(ii) against S. No. 60, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -
"Parts, sub-assemblies, spares, accessories, tools, testing equipment, literature for goods like artillery weapons, rifles, aircrafts, and missiles, except for 12.7mm SRCG, 155mm/45 Cal. Dhanush, L-70 Gun, 84mm RL Mk-III, AK-630 Naval Guns, Light Machine Gun, MAG Gun:

Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1st July, 2029".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 31/2026-Customs, dated the 23rd September, 2026, *vide* number G.S.R. 840 (E), dated the 23rd September, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 06/2026-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 934(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप।"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 628(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 06/2026-Central Tax

G.S.R. 934(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 607(E), dated the 19th June, 2017, namely:-

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"**Provided** that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of any of the following goods, namely: -

(i) used cooking oil falling under heading 1518 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) waste and scrap of plastics falling under heading 3915 of the said First Schedule;

(iii) waste and scrap of tyres falling under heading 4004 of the said First Schedule;

(iv) metal scrap falling under Chapters 72 to 81 of the said First Schedule; or

(v) electrical and electronics waste and scrap falling under heading 8549 of the said First Schedule.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 5/2017-Central Tax was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 607(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended by notification No. 24/2024-Central Tax, dated the 9th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 628(E), dated the 9th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 07/2026-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 935(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 868(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति प्राप्त करता है, अर्थात्:-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 868(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 25/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 629(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 07/2026-Central Tax

G.S.R. 935(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2018-Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 868(E), dated the 13th September, 2018, namely: -

In the said notification, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) any registered person receiving supply of any of the following goods from another registered person, namely: -

(i) used cooking oil falling under heading 1518 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) waste and scrap of plastics falling under heading 3915 of the said First Schedule;

(iii) waste and scrap of tyres falling under heading 4004 of the said First Schedule;

(iv) metal scrap falling under Chapters 72 to 81 of the said First Schedule; or

(v) electrical and electronics waste and scrap falling under heading 8549 of the said First Schedule".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 50/2018-Central Tax was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 868(E), dated the 13th September, 2018 and was last amended by notification No. 25/2024-Central Tax, dated the 9th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 629(E), dated the 9th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.